"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर 2011—भाद्र 22, शक 1933

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक 1373/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) यथा संशोधित राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, अधिसूचना क्रमांक 1086/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4 दिनांक 23 जुलाई, 2011 द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 243-झ तथा 243-म के अनुसार राज्य वित्त आयोग, राज्य की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा तथा राज्यपाल को निम्नलिखित शासित किये जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में अनुशंसा देगा :—

1. (एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच वितरण जो संविधान के अधीन उनके बीच विभाजित किए जा सकें तथा समस्त स्तरों पर ऐसे आगमों के उनके अपने-अपने अंशों का उक्त निकायों के बीच आवंटन;

(दो) करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों का निर्धारण जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदेशित या विनियोजित की जा सकेंगी;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान;

(चार) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपायों सहित उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु एवं लागतों की वसूली (प्रयोक्ता-प्रभारों) के लिए आवश्यक उपाय.

2. आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी अन्य विषय पर, अपनी सिफारिशें भी देगा.

3. आयोग, अपनी सिफारिश करने में अन्य विचारों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :—

(एक) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांग;

(दो) स्थानीय निकायों से सम्बन्धित तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं;

(तीन) संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को अंतरित किए गए कृत्यों और सेवाओं की तुलना में, उन कृत्यों और सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों की सेवाओं का अंतरण;

(चार) संसाधनों को बेहतर गति प्रदान करने और वित्तीय अनुशासन बनाने के साथ-साथ व्यय और राजस्व बढ़ाने के विनिश्चयों को निकट से जोड़ने के लिए यथोचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता;

(पांच) पंचायतों और नगरपालिकाओं की प्रदाय प्रणाली में तेजी, दक्षता और प्रभावशीलता और सूचना प्रौद्योगिकी का सम्भावित प्रयोग तथा ई-शासन की आवश्यकता;

(छः) जलआपूर्ति प्रणाली, सड़क, पुल (ब्रिज), लघु सिंचाई योजनाओं, जल मल निकासी प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली आदि के आस्तियों के सृजन पर पूंजीगत व्यय के लिए मॉडल विकसित करने की आवश्यकता; तथा

(सात) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लेखों तथा अंकेक्षण पद्धतियों के मानकीकरण की महत्ता.

4. आयोग यह बताएगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं.

5. आयोग पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए, अपनी प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2012 तक या उसके पूर्व उपलब्ध कराएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 1374/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1373/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 13-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th September 2011

NOTIFICATION

No. [illegible] 8-9/2011/Fin./B-4.—In pursuance of the provisions under Articles 243-I of the Constitution of [illegible] n 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), as amended by [illegible] Ayog (Amendment) Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2003), the State Finance Commission has

been constituted vide notification No. 1086/L-8-9/2011/Fin/B-4 dated 23rd July 2011. As per Articles 243-I and 243-Y, the State Finance Commission shall review the financial position of the Panchayats and Municipalities in the State and make recommendations to the Governor as to the principles which should govern :—

1. (i) the distribution between the State and the Panchayats and Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State which may be divided between them under the Constitution and allocation between the said bodies at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by, the Panchayats and Municipalities;

(iii) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities from the Consolidated Fund of the State ;

(iv) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities including measures for improving the management of available resources and measures for recovery of costs (user-charges).

2. The Commission shall also make recommendations on any other matter referred to it by the Governor in the interest of sound finances of the Panchayats and Municipalities.

3. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to :—

(i) the fiscal demands on the State Government in view of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005;

(ii) the recommendations of the Thirteenth Finance Commission with regard to Local Bodies;

(iii) the functions and services transferred by the State Government to the Panchayats and Municipalities in pursuance of the constitutional amendments vis-a-vis the transfer of the services of employees engaged in those functions and services;

(iv) the need for providing adequate incentive to Local Bodies for better resource mobilization and financial discipline as well as closely linking expenditure and revenue raising decisions;

(v) the requirement for speed, efficiency and effectiveness in the delivery systems of the Panchayats and Municipalities and the possible use of Information Technology and e-governance tools;

(vi) the need for developing models for capital expenditure to create assests like water supply systems, roads, bridges, minor irrigation schemes, drainage systems, solid waste management systems, etc. and;

(vii) the importance of standardization of accounting and audit procedures of the Panchayats and Municipalities.

4. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings.

5. The Commission shall make its report available up to or before 31st July, 2012 on each of the matters aforesaid covering a period of five years commencing on the first day of April 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.